



| | | |
|---|---|---|
|  | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन) लिंग रोड नंबर 3, पत्रकार कॉलोनी, भोपाल- 462003 |  |
|---|---|---|

:-विज्ञापन :-

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा. /2023/15663

भोपाल, दिनांक: 14/06/2023

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, MOPRO के राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अन्तर्गत जिले में चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु संविदा आधार पर संविदा रिहैबिलिटेशन वर्कर (Contractual Rehabilitation worker) के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता हूँ यह अनुबंध 31 मार्च 2024 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा:-

| क्र | पदनाम | रिक्त पद | मासिक मानदेय | अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता/वाछनीय शैक्षणिक योग्यता | आयु सीमा |
|-----|--|----------|------------------------------|--|---|
| 1 | संविदा रिहैबिलिटेशन वर्कर (Contractual Rehabilitation worker) | 134 | 15,000 / - रूपये प्रतिमाह | <p>A)</p> <p>1- 10+2 or equivalent qualification and</p> <p>2- Possessing any one of the following approved qualification from a recognized institute.</p> <p>a. One and half year certificate course of Multi Rehabilitation worker (MRW) and Registered as Rehabilitation Personnel/ Professional under Rehabilitation Council of India Act 1992</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>b. One/two years Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) and Registered as Rehabilitation Personnel/ Professional under Rehabilitation Council of India Act 1992</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>c. One/two years post Graduate Diploma in Community based Rehabilitation (PGDCBR) open and Distance Learning (ODL) and Registered as Rehabilitation Personnel/ Professional under Rehabilitation Council of India Act 1992</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>B) Bachelor of Physiotherapy (BPT) and live Registration in State Para Medical Council.</p> | <p>21-43 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/01/2023 की स्थिति में</p> |

आवेदन एम.पी.ऑनलाईन के वेब पोर्टल [http:// www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 23/06/2023 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 18/07/2023 है। ऑफ लाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे।


उपरोक्त संविदा रिक्त पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अन्य विवरण एवं नियम पुस्तिका एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

2. पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

| पदनाम | कुल पद | अनारक्षित (27%) | | अनुसूचित जनजाति (20%) | | अनुसूचित जाति (16%) | | अन्य पिछडावर्ग (27%) | | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%) | | रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (6%) | | | |
|---|--------|-----------------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|--------------------------------|-------|---|---------------------------|--|--|
| | | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | ओपन | महिला | (दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 % | बहरे कम सुनने वाले) 1.5 % | (लोको मोटरडिसेबिलिटी सम्मिलित हैं जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुण्ड रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मरकुलर डिस्ट्राफी) 1.5 % | (ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता स्पेसिफिक लनिंग डिफेसिटेटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता) 1.5 % |
| संविदा रिहैबिलिटेशन वर्कर (Contractual Rehabilitation worker) | 134 | 25 | 12 | 18 | 9 | 14 | 7 | 24 | 12 | 9 | 4 | - | - | 8 | - |

- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयंसेव निरस्त माने जायेंगे।
- अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ,म.प्र. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(मिशन संचालक, एन.एच.एम. द्वारा अनुमोदित)


14/06/2023.

संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश